न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 174/22 निर्णय दिनांकः– 3.1.24
(जीसीएमएस संख्या 2022/337)

1. अन्नीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. मुन्नीराम पुत्र रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. पूनमदास पुत्र रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. मनोज दास पुत्र रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. द्रोपदी पुत्री रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. शारदा पुत्री रामचन्द्र जाति साध निवासी ग्राम बांधनूॅ तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22–10–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22–10–2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में वर्ष 1988 में तादादी 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु तमाम सबूतों के साथ आवंटन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि काश्तकारी पेशा व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में बारानी भूमि में आवंटन हेतु राज्यादेश कमांक एफ–3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अदालत मातहत द्वारा बारानी भूमि आवंटन बन्द होने के कारण अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (25)उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के द्वारा दिनांक 13–03–1991 द्वारा बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के स्थान पर लम्बिर रखना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट के सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—10—2002 के विरूद्व अपील दिनांक 03—11—22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन राज्यादेश के तहत बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—10—2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 03—11—2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकरतफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट ने भूमिहीन बारानी आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में राज्यादेश क्रमांक एफ–3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है।

हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा बारानी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र राज्यादेश क्रमांक एफ–3(25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के अनुसरण में बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके द्वारा दिनांक 13–03–1991 को इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है, की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आवंटन की कार्यवाही करने का कथन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के माध्यम से बारानी भूमि के आवंटन पर रोक लगाई थी ना की उक्त अधिसूचना के माध्यम से बारानी भूमि आवंटन बन्द किया गया था। अदालत मातहत द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से राज्य सरकार की अधिसूचना की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत परिपत्र राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के माध्यम से दिनांक 13–03–1991 द्वारा इगानप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जा चुका है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–03–1991 की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त परिपत्र के अनुसरण में राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–10–2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के अनुसरण में अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 3.1.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर